फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमलेश पिता वल्लभराम रावल जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी, बडीसादडी वगैरा

बनाम

नरेश कुमार पिता उदयराम दशोरिया जैन निवासी बडीसादडी वगैरा

प्रकरण संख्या 19/2023 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पो. सं. 3 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक के पश्चात् आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलांट्स को पेशी दिनांक 19.07.2024 पर न्यायहित मे अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनिर्वाय रूप से रेस्पो. सं. 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश करे अन्यथा आगामी पेशी पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अधिवक्ता अपीलांट्स ने आज भी रेस्पो. सं. 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है अर्थात् अधिवक्ता अपीलांट्स अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	